गांधीवादी विचारधारा एवं नवीन मूल्य उत्कर्ष

डॉ. जयराम बैरवा

व्याख्याता समाजशास्त्र
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ (अलवर) राज.

शोध सारांश

शोध अध्ययन के अन्तर्गत ग्रामीणों में नवीन मूल्योन्मेष की प्रकृति का विश्लेषण कुछ मूलभूत तथ्यों और कथनों के आधार पर किया है यथा जाति, अस्पृश्यता, कृषि क्षेत्र, लघु एवं कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजनाएं, अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के उन्नयन हेतु सरकारी प्रयास आदि के सन्दर्भ में किया जाता है। संविधान के भाग IV के धारा 38 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त के अन्तर्गत यह कहा गया है कि राज्य जन–कल्याण के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं यथा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक न्याय को प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास करेगा। राज्य विशेष रूप से समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण को अधिक प्राथमिकता देगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि "मैं ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूं जिसमें गरीब भी यह समझें कि यह उसका देश है और इसके बनाने में उसकी भी राय कम नहीं होगी, ऐसा भारत जिसमें सभी सम्प्रदाय पूरी तरह घुल–मिल कर रहेंगे।" इसी आदर्श को ध्यान में रखकर स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई।

मुख्य शब्द – गांधीवादी विचारधारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजनाएं, नवीन मूल्योन्मेष, मण्डल आयोग, संविधान, अस्पृश्यता, व्यावसायिक निर्योग्यता, जाति संस्तरण, अस्पृश्यता।

उद्देश्य –

1. गांधीवादी विचारधारा में नवीन मूल्यों का उद्विकास के बारे में चर्चा करना।
2. ग्रामीणों में वनीन मूल्य उन्मेष की प्रकृति या मूल्य कटिबद्धता का अध्ययन किया गया

प्रस्तावना

संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान रखे गये हैं जिनके द्वारा अस्पृश्यता निवारण तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने और साधारण जनता के उपयोग के लिए बने कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि के प्रयोग से किसी प्रकार नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 17 और 19 के द्वारा अस्पृश्यता तथा व्यावसायिक निर्योग्यता को समाप्त किया जा चुका है। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य दुर्बलतम लोगों जिनमें अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियां आती हैं, के शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा।

अनुच्छेद 146 और 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण व हितों की रक्षा के लिए राज्य में सलाहकार परिषदों एवं पृथक–पृथक विभागों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रपति विशेष पदाधिकारी नियुक्त करेगा।

भारतीय संविधान में समुदाय के कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्गों जैसे पदों का प्रयोग किया गया है जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, विशेषतया अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियाँ किन्तु पिछड़े वर्गों को कहीं भी पारिभाषित नहीं किया गया हैं। 1953 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर पिछड़े वर्गों के निर्धारकों का पता लगाने को कहा। आयोग ने यह कहा कि सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की व्यवस्था में जाति व्यवस्था की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जाति व्यवस्था सामाजिक पदों और ब्राह्मण जो कि सिलाई का कार्य करता है वह जातीय स्थिति से सिलाई करने वाली जाति का नहीं हैं और न तो ब्राह्मण के रूप में उसके सामाजिक स्तर में ही कमी होती है। इस प्रकार सामाजिक पिछड़ापन के निर्धारण में जाति महत्त्वपूर्ण भूमिका सम्पादित करती है न कि व्यवसाय।

भारतीय समाज की सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर तथा एक वृहद् वर्ग के पिछड़ेपन के कारणों के निर्धारण में आयोग ने निम्नांकित आधारों का चयन किया है

- हिन्दू समाज के परम्परागत जाति संस्तरण में निम्न सामाजिक स्थिति ।
- समुदाय के वृहद् वर्गों में सामान्य शैक्षिक सुविधाओं का अभाव ।
- सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व का अभाव।
- व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में असंतुलित प्रतिनिधित्व।

इन्हीं आधारों पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का आयोग न निर्धारण करने का प्रयास किया। वे लोग जो अस्पृश्यता से पीडित हैं या अस्पृश्त हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के रूप मे रखा गया तथा वे जनजातिया जो सामान्य सामाजिक व्यवस्था में समुचित सात्मीकरण नहीं कर पाईं, वे अनूसूचित जनजातियां हैं। आयोग ने इनकी कोई समुचित परिभाषा नहीं दी है।

पुनः 1982 में मण्डल आयोग ने पिछड़े वर्गों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सरकारी नौकरियों में इनके आरक्षण हेतु सिफारिशें प्रस्तुत की जिसे केन्द्र राज्यों की सरकारों ने लागू किया है।

अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गयी है। छठी पँचवर्षीय योजना में इनके विकास हेतु अनुसूचित जाति विकास निगम की व्यवस्था की गयी। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में पिछड़े वर्गों के लिए वित्तीय एवं विकास निगम की व्यवस्था की गयी है।

संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधान सभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गये। पहले ये स्थान संविधान के लागू होने के 20 वर्ष तक के लिए सुरक्षित रखे गये और अब यह अवधि 10 वर्ष अर्थात् 25 जनवरी सन् 1990 तक के लिए बढ़ा दी गई थी। पंचायती राज संस्थाओं में भी इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। इन सब व्यवस्थाओं के फलस्वरूप अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना निरन्तर बढ़ती जा रही हैं।

केन्द्र एवं राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु अलग–अलग विभागों की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में तो अस्पृश्य जातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर पृथक मंत्रालय भी स्थापित किया गया है। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु सरकार ने उन्हें विशेष सुविधा देने का प्रयास किया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन जातियों के भूमिहीन मजदूरों में से अधिकांश को भूमि बाँटी जा चुकी थी। इन लोगों को शोषण से बचाने हेतु सहकारी समितियों की भी व्यवस्था की गई। इन्हें कुटीर उद्योग–धन्धों में लगाने के लिए प्रशिक्षण, ऋण तथा अनुदान का भी प्रबन्ध किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में खर्चों के अलावा पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों एवं केन्द्र द्वारा 247 करोड़ रूपयों के खर्च की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। छठवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया था। इस योजना में यह व्यवस्था की गई थी ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत उन क्षेत्रों को खास तौर से चुना गया जहाँ 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जातियों को थीं।

उपर्युक्त सभी प्रावधानों एवं सुविधाओं का लाभ देश की 500 अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को मिला है और उनकी सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार हुआ है और हो रहा है।

गांधीवादी विचारधारा

गांधी के विचार भारतीय परम्पराओं एवं समस्याओं पर आधारित हैं। उनका विचार अर्थव्यवस्था के निर्माण करने का था जिसका आधार सहभागिता, सहकारिता शोषण विहीन समाज है। स्वतंत्रता आन्दोलन के दिनों में उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन का एक हिस्सा मानकर खादी ग्रामोद्योगों का क्रान्तिकारी कार्यक्रम राष्ट्र के समक्ष रखा। उन्होंने महसूस किया कि, ''यदि स्वदेशी स्वराज्य की आत्मा है तो स्वदेशी का मुख्य तत्व है''। गांधी जी को विश्वास था कि देश की गरीबी व बेकारी का समाधान तीव्र औद्योगीकरण से नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के खादी ग्रामोद्योगों के विकास से सम्भव है। उनके विचार में ग्रामीण क्षेत्रों की निष्क्रियता और गरीबों की घोर गरीबी के लिए ग्रामोद्योगों का ह्रास ही मुख्यतः जिम्मेदार है। वे प्रायः कहा करते थे कि इससे गांवों की दोहरी आर्थिक हानि होती है। ग्रामीण लोग विविध पूरक धन्धों तथा सहायक अथवा मुख्य धन्धों से उत्पादन कर, जिसकी गांव तथा शहर दोनों में मांग है, जो आय प्राप्त करते थे वह बन्द हो गयी और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें अपनी कठिन कमाई का पैसा देशी–विदेसी वस्तुएं खरीदने में खर्च करना पड़ता है, जबकि उन वस्तुओं का उत्पादन वे स्वयं ही कर सकते हैं। कुटीर उद्योगों के विकास पर गांधी जी ने बहुत जोर दिया, क्योंकि इसकी प्रगति की कोई सीमा नहीं है और कम पूंजी से इसे प्रारम्भ किया जा सकता है। वे एक ही केन्द्र पर बहुत ही पेचीदा मशीनों के जरिये कम से कम लोगों द्वारा उत्पादन के बजाय, लाखों लोगों द्वारा अपने घर में व्यक्तिगत रूप से उत्पादन को पसन्द करते थे। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे दीर्घ–स्तरीय उद्योगों के स्थापना के वे विरोधी थे। अपने व्याख्यान में उन्होंने कई बार कहा था कि भारत को कुछ भारी उद्योगों की आवश्यकता है और ये उद्योग ''केन्द्रीकृत'' और राष्ट्रीयकृत हो सकते हैं। गांधी जी भारी उद्योग को मुख्य तौर पर गांवों में चलने वाली व्यापक राष्ट्रीय गतिविधियों के एक अंश तक ही सीमित रखना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वे निश्चित रूप से उपभोक्ता सामान वाले उद्योगों जैसे–वस्त्र, चीनी, तेल, कागज़ आदि को देहाती इलाकों में फैलाने और विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे।

भारत जैसे देश में जहां श्रम बाहुल्य और पूंजी का अभाव है, वहां गांधी जी के बताये मार्ग से विचलित होने का औचित्य अच्छा नहीं लगता है। गांधी जी के कुटीर उद्योगों सम्बन्धी विचार को आलोचकों ने इस आधार पर बल दिया कि व बड़े उद्योगों व मशीनों के विरोधी थे। मशीनीकरण तथा औद्योगीकरण की अस्वीकृति गांधीवादी आर्थिक प्रणाली का केन्द्र बिन्दु है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि वे मशीनों के उपयोग के विरोधी थे, क्योंकि उन्होंने एक लेख में स्पष्ट कर दिया था कि मशीनों का अपना स्थान है... लेकिन उन्हें मानवीय श्रम को स्थानान्तरित कर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अपने विचार को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि मेरा विरोध मशीन से नहीं, बल्कि मशीनों के पीछे पागल दौड़ से है और यह पागलपन मानव श्रम बचाने वाली मशीनों के लिए है। लोग श्रम बेचने चले जाते हैं, जबकि हजारों लोग बिना काम के भूखों मरने के लिए सड़को पर दिये जाते हैं। मैं श्रम और समय बचाना चाहता हूँ. लेकिन कुछ चन्द लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, गांधी जी ग्रामीण दस्तकारों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए वर्तमान विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि में ऐसी सर्वाधिक परिष्कृत मशीन का समर्थन करूँगा यदि उसके जरिये भारत की कंगाली और इससे फलित आलस्य दूर किया जा सके। मैं बिना किसी समझौते के समस्त विनाशकारी मशीनों का विरोध करता हूँ, लेकिन ऐसे साधारण औजार तथा उपकरण और ऐसी मशीनरी जो व्यक्तिगत श्रम को बचाती है तथा लाखों घरों के काम का बोझ हल्का करती है उसका स्वागत करूँगा। गांधी के विचारों को अहमियत देते हुए विनोबा भावे ने तो यहां तक कह दिया कि, ''यदि सरकार सभी काम चाहने वाले लोगों को रोज़गार दे सके तो बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अपने लकड़ी के चरखे को जलाकर बिना पश्चाताप के एक आँसू बहाये हुए उससे एक दिन का भोजन पकाऊँगा ।'' कुटीर उद्योगों के वर्तमान अवस्था के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा की मंत्री प्रायः मिलों का उद्घाटन करते हैं, परन्तु कटीर उद्योगों को प्रोत्साहन या उन्नति के तरफ ध्यान नहीं देते । आज भी बैल कोल्हू देश के अधिकांश भाग में चलाया जाता है और अधिकांश लोगों को रोज़गार देता है, फिर भी सरकार ने शक्ति चालित तेल घानी के लिए अनुमति दे दी है, फलतः तेल कोल्हू (देशी घानी) बन्द हो गये।

तकनीकी प्रगति और मशीन के सम्बन्ध में गांधी के विचार दो टूक थे। चूँकी पाश्चात्य देशों में श्रम की कमी है, इसलिए उनके यहां परिस्थितियों के अनुकूल नये–नये आविष्कार हो रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा मशीनीकृत हैं, परन्तु भारतीय परिस्थितियों में जहां कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक लोग हैं वहां हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है कि लाखों करोड़ों आदमियों के लिए अवकाश कैसे निकाला जाये, वरन् प्रश्न यह है कि उनके बेकार समय का किस प्रकार से उपयोग हो जो आने वाले दिनों में वर्ष में 6 महीने के काम के बराबर हो ।

भारत के कई लाखों गांवों में बिखरे हुए ग्रामीण के रूप में करोड़ों सजीव मशीनों के मुकाबले निर्जीव मशीनरी को स्थान नहीं देना चाहिए। उनका विचार था में श्रम कारखाना चाहता हूँ। मानव जाति के एक छोटे से हिस्से के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए मैं सम्पत्ति का संग्रह करना चाहता हूँ, वह कुछ लोगों के हाथ में नहीं, अपितु सबसे हाथों में। गांधी के विचारों में गांव को किसी भी आर्थिक कार्यक्रम का केन्द्र होना चाहिए। कुटीर उद्योगों का विकेन्द्रित स्वभाव कारीगरों को घर पर ही कार्य देता है। उनका कहना था कि यदि सरकार खादी ग्रामोद्योग के बगैर पूर्ण रोजगार दे सके तो मैं अपने सभी रचनात्मक कार्य बन्द करने के लिए तैयार हूँ।

गांधी के विचार न केवल गरीबी व रोजगार, बल्कि उत्पादन व वितरण के सम्बन्ध में भी यथावत हैं। उन्होंने जब उत्पादन के बजाय जनता के लिए उत्पादन पर जोर दिया, जससे कि मुद्रास्फीति व असमान वितरण से बचा जा सकेगा। स्वदेशी कपड़ा उद्योग, खद्दर के विकास विषयक गांधी का आन्दोलन अतीत का पुनरूत्थान करने के उत्सुक कल्पनाजीवी की सनक नहीं है, अपितु भारतीय ग्रामीणों की निर्धनता को दूर करने और उन्हें ऊपर उठाने का व्यावहारिक प्रयास है।

कुछ विचारकों का मानना है कि भारतीय लोग गांधी के विचारों को नहीं समझ सके, जबकि गांधी विश्व के महान् अर्थशास्त्री थे। यह अर्थशास्त्री हमेशा इस सिद्धान्त को महत्त्व देता रहा कि ''लघु सुन्दर है।'' अपने भावी कार्यक्रम को स्पष्ट करते हुए गांधी ने कहा था कि, ''यदि मैं सारे देश से अपने विचार मनवा सका तो भावी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार होगा चर्खा, और वह सब जो चर्खे का मतलब है, इसमें वह प्रत्येक वस्तु सम्मिलित होगी जिसमें गांव वालों का कल्याण हो । मेरी परिकल्पना के अनुसार दस्तकारी के साथ–साथ बिजली, पोत–निर्माण, लोहे के कारखाने व मशीनों का निर्माण और ऐसे ही काम चलेंगे, लेकिन पराजय का क्रम बदल जायेगा। अभी तक तो औद्योगीकरण से ऐसा हुआ है कि गांव और गांवों की दस्तकारी बर्बाद नहीं हो गयी। भावी राज्य में औद्योगीकरण गांव व गांवों को दस्तकारी को बढ़ावा देगा।

आज यद्यपि बड़े जोर–जोर से गांधीवादी विचारधारा पर वाद–विवाद हो रहा है, पर इससे पूर्व इसे अव्यावहारिक एवं कल्पना प्रधान, पुरातन तथा पीछे देखने वाली अर्थ–व्यवस्था कहा गया। स्वयं पण्डित नेहरू ने इसे गरीबी के बंटवारे का अर्थशास्त्र कहा, परन्तु मुख्य बात यह है कि गांधी के राम राज्य की कल्पना आधे पेट जिन्दा रहना नहीं, अपितु समृद्धि की चरम सीमा थी। निश्चय की गांधीवादी नियोजन देश को नई दिशा प्रदान करेगा। हमारे गहराते गम्भीर आर्थिक संकट का यह अशुभ आयाम गांधी जी के मार्ग से हटने का स्पष्ट संकेत हैं...।

अनुभवात्मक परीक्षण

ग्रामीणों में नवीन मूल्य उन्मेष की प्रवृति का विश्लेषण कुछ मूलभूत ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित परम्पराओं, तथ्यों, विश्वासों से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए जाति ग्रामीण जन–जीवन में एक प्रभावी व्यवस्था है। जाति और भारतीय समाज के सामाजिक सम्बन्धों के विषय में ग्रामीण की अभिवृत्तियों का विश्लेषण करने पर परिलक्षित होता है कि सम्पूर्ण ग्रामीणों में से 50 प्रतिशत लोग ने भारतीय सामाजिक संरचना के स्थायित्व के लिए जाति को मूलाधार माना है। अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के प्रति सरकार द्वारा प्राप्त विशेष सुविधाओं के प्रश्न पर लगभग 70 तिशत ग्रामीण इस बात से सहमत नहीं है कि पिछड़ी आर अनुसूचित जातियाँ अपने विकास और सुविधाओं के लिए सरकार की कृपाभक्ति की गाथा गाएं अथवा आभार को स्वीकार करें। बल्कि अन्तर्निहित भावना यह हो सकती है कि तथाकथित पिछड़ी और अनुसूचित जातियाँ अपने उत्कर्ष के लिए स्थानीय ग्रामीण उच्च जातियों के प्रति अपनी आस्था. आभार और कृतज्ञता कायम रखें।

राष्ट्रीय हित में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के बिन्दु पर बहुसंख्य संस्तुति प्रदान करते हैं। भारत में ग्रामीण विकास एवं लघु उद्योगों के विकास के प्राथमिकता के प्रश्न पर सम्पूर्ण ग्रामीणों की आवृति समान स्तर पर विरोधाभासी है। भारत के त्वरित विकास के प्रसंग में बड़े उद्योगों के स्थापना की प्राथमिकता के विषय में यद्यपि बहुसंख्यक लोगों ने सहमति प्रदान की है, किन्तु बहुसंख्यक से थोडा ही कम लोगों का एक प्रमुख वर्ग बड़े उद्योगों के प्राथमिकता के पक्ष में नहीं है। भारतीय समस्याओं के समाधान में गांधीवादी

आदर्शों के अनुसरण के प्रश्न पर बहुसंख्यक ग्रामीणों की प्रतिक्रिया असंतोष और असहमति की पायी गयी है।

जाति व्यवस्था के उन्मूलन, अस्पृश्यता, निर्बल एवं कमजोर वर्गों को विविध सुविधाएं, कृषकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, विकास योजनाओं, आधुनिक कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, धार्मिक अन्धविश्वास में परिवर्तन, आधुनिकीकरण के प्रवाह में भारतीय संस्कृति के लोप, औद्योगीकरण एवं जातीकरण हेतु कृषि एवं तद्जनित कुटीर उद्योगों के विकास को प्राथमिकता, परम्परा एवं आधुनिकता के बीच समन्वय, तकनीकी उपलब्धियों के ग्रहण के साथ सर्वजातीय, सर्वधार्मिक, समतावादी दृष्टिकोण, अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग की मानसिकता, अधिकारियों का ग्रामीण जनता से परिवार नियोजन के संदर्भ में सहानुभूतिमूलक लगाव, ग्राम पंचायतों के विघटनात्मक कार्य प्रणाली के लिए क्षेत्रीय राजनीति और राजनेताओं के प्रति दृष्टि एवं अनुभूति अन्यान्य विविध प्रश्नों के सर्वेक्षण से यह परिलक्षित हो रहा है कि बहुसंख्यक ग्रामीणजनों ने सहमत, असहमत और अनिश्चितता की स्वीकरोक्ति की है तथा साथ ही साथ ग्रामीण जनों में नवीन मूल्यों की ओर उन्मुखता की प्रकृति भी दृष्टिगोचर हो रही है।

निष्कर्ष –

ग्रामीणों में नवीन मूल्य उन्मेष की प्रकृति या मूल्यों के प्रति कटिबद्धता का मूल्यांकन किया गया है। प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि अधिकांश ग्रामीण भारतीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कटिबद्ध हैं। साथ ही साथ उनके विचारों और जीवन–शैली में नवीन मूल्यों का भी उद्भव हो रहा है तथा वे उसे अपनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस शोध में ग्रामीणों से किंचित लेकिन महत्त्वपूर्ण भारतीय सामाजिक आधारों, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों, देश की राष्ट्रीय विकास योजनाओं, ग्रामीण विकास और गांधीवादी दर्शनों पर आधारित विकास नीतियों के सन्दर्भ में प्रतिक्रियाओं और उनके विचारों को ग्रहण किया गया है। भारतीय सामाजिक संरचना के स्थायित्व का मूल आधार जाति व्यवस्था है जो । इस कमजोर करना चाहते हैं वे मूर्ख हैं, इस धारणा के संदर्भ में बहुसंख्यक सहमत हैं, अर्थात् वे भारतीय सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था के महत्त्व भालीभांति स्वीकार करते हुए आज भी इसे महत्त्वपूर्ण संगठन एवं स्थायित्वकारी मानते हैं। अल्प संख्या में ही ग्रामीणों ने जाति व्यवस्था के महत्त्व को अस्वीकार किया है। अपेक्षतया 32.5 प्रतिशत ग्रामीण जाति व्यवस्था के महत्त्व के संदर्भ में अनिश्चय की स्थिति में हैं।

संदर्भ सूची

1. Report of the Backward Classes Commission (1986), Vol. I, p.41, Govt. of India Publication, Publication Division, New Delhi.
2. Sixth Five Year Plan (1980-85), Govt. of India Publication, Pub. Division, New Delhi.
3. India 1985. Govt. of India Publication, Publication Division.
4. Fourth Five Year Plan, Govt. of India Publication, Pub. Division, New Delhi, p. 416.
5. Sixth Five Year (1980-85), Govt. of India Publication, New Delhi.
6. Mehta B.Lal ; Ayojan Ka Gandhivadi Dristikon, Khadi Gramodyog Patrika, Oct. 1963.
7. Young India, Ahmedabad, Nov. 13, 1924, p. 378.
8. Lectures delivered by Sriman Narayan on Nov.16, 1977,New Delhi.
9. Bhave Vinoba: Gandhi and Marx, Ahmedabad, Madhubala, K.G. 1952, p.23.
10. Young India, Nov. 20, 1923, Ahmedabad.
11. Young India, Nov-13, 1924, Ahmedabad.

12. Young India, Nov. 3, 1921, Ahmedabad.
13. Young India] June 16, 1926, Ahmedabad.
14. Narayan Sriman; Toward the Gandhian Plan, S.Chand & Co. New Delhi, 1978, p. 93.
15. Young India, Nov.13, 1920. Ahmedabad.